राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1218/2024

गोपाल लाल रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, योजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, सांख्यिकी, योजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जैद खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यालय उप सी.एच.एम.ओ. (परिवार कल्याण), जयपुर–II में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पंचायत समिति सिकराई, जिला दौसा में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जो विधि–विरूद्ध एवं अनुचित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र लिखा, जिसमें अनुरोध किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी की आवश्यकता है। अतः अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं है (अनुलग्नक–4)। आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 सम्पन्न करवाने हेतु अपीलार्थी को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी दिनांक 24.02.2024 के द्वारा नियुक्त किया गया। अपीलार्थी की पत्नी कैंसर

रोग से पीड़ित है। जिसका ईलाज भगवान महावीर प्रसाद अस्पताल, जयपुर में लगातार चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी की देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यालय उप सी.एच.एम.ओ. (परिवार कल्याण), जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पंचायत समिति सिकराई, जिला दौसा में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में सक्षम स्तर से किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थानप स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य